Member of Parliament Local Area Development Scheme



भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001 GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001 FAX: 23364197 E-mail: mplads@nic.in

No. C-42/2011-MPLADS

Dated 26th August, 2011

To

The Nodal Secretaries of States/UTs
Commissioner Municipal Corporation of Delhi/Kolkata/Chennai/Mumbai
District Collector/District Magistrates/Deputy Commissioners,
All Districts.

Sub: Modifications of MPLAD Guidelines - regarding.

Sir/Madam,

The Ministry has been receiving representations and suggestions from various stakeholders for the last few years for increasing the allocation of funds to Members of Parliament under the Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS). These suggestions have been examined and based on the discussion and experience, Government has decided to increase the annual allocation of Members of Parliament from Rs. 2 crore to Rs. 5 crore from the financial year 2011-12. Accordingly, the existing paras 4.1 to 4.3 of the extant guidelines have been modified in view of the increased allocation of annual fund.

- 4.1 The annual entitlement of Rs 5 crore shall be released, in two equal instalments of Rs 2.5 crore each, by Government of India directly to the District Authority of the Member of Parliament concerned.
- 4.2 At the time of the constitution of Lok Sabha, and election of a Rajya Sabha Member, the first instalment of Rs. 2.5 crore shall be released to the District Authority without the documents stipulated under para 4.3 below. The subsequent instalments of the continuing Members of Rajya Sabha and Lok Sabha will be released as per the eligibility criteria indicated in Paragraph 4.3. The District Authority shall maintain a separate bank account for each MP for the purpose of MPLAD Scheme. Physical and Financial Progress for each MP (sitting and former) will be sent by the District Authorities, separately as per Annexure VI.
- 4.3 The first instalment of Rs. 2.5 crore will be released in the beginning of the financial year.

In the remaining years, the first installment will be released in the beginning of the financial year subject to the condition that the second installment of the previous year was released for the MP concerned and also subject to furnishing of the provisional Utilization Certificate of previous year covering at least 80% of the expenditure of the first installment of the previous year.

The second installment of the MPLADS funds will be released subject to the fulfillment of the following eligibility criteria:-

- the unsanctioned balance amount available in the account of the District Authority after taking into account the cost of all the work sanctioned is less than Rs.1 crore;
- (ii) the unspent balance of fund of the MP Concerned is less than Rs. 2.5 crore; and
- (iii) Utilization Certificate of the previous financial year and the Audit Certificate for the funds released for MP concerned in the year prior to the previous year have been furnish by District Authority (in format at Annexure viii & ix of the guidelines respectively.

The above stipulations will be calculated from the Monthly Progress Report for each sitting and former MP term-wise separately. The Monthly Progress Report is to be sent by the District Authorities in the format at Annexure VI.

2. This issues with the concurrence of Ministry of finance (Dept. of expenditure vide there O.M. No. 56(2)/PF II/2006 dated 19.08.2011.

Yours faithfully,

(Davendra Verma)

Deputy Director General (PI)

Tel. 23746725

Copy for information to:

All Hon'ble Members of Parliament (Lok Sabha/Rajya Sabha).

2. Rajya Sabha Committee on MPLADS, Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.

Lok Sabha Committee on MPLADS, Lok Sabha Secretariat, New Delhi.

4. To all concerned in MPLADS Division.

NIC for uploading on the MPLADS Website.

Copy also forwarded for information to Ministry of Finance (Department of Expenditure) with reference to there O.M. No. 56 (2)/PF II/2006 dated 19.08.2011.

Member of Parliament Local Area Development Scheme



भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001 GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001 FAX: 23364197

E-mail: mplads@nic.in

सं.सी-42/2011-एमपीलैंड्स

Dated26. अगस्त, ..2011

सेवा में.

राज्यों/संघ राज्यशासित प्रदेशों के नोडल सचिव दिल्ली/कोलकाता/चेन्नई/मुंबई के नगर निगम आयुक्त, सभी जिलों के जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त,

विषयः एमपीलैंड्स दिशानिर्देशों में संशोधन के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

इस मंत्रालय को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैंड्स) के तहत सांसदों को दी जाने वाली निधि को बढ़ाने के लिए पिछले कई वर्षों से विभिन्न स्टेकहोल्डरों से अभ्यावेदन तथा सुझाव मिल रहे हैं। इन सुझावों पर विचार करने के बाद तथा चर्चा एवं अनुभव के आधार पर सरकार ने वित्त वर्ष 2011-12 से सांसदों के वार्षिक कोष को 2 करोड़ रु. से बढ़ाकर 5 करोड़ रु. करने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार, वार्षिक निधि के आबंटन में वृद्धि के मद्देनजर वर्तमान दिशानिर्देशों के मौजूदा पैरा 4.1 से 4.3 में संशोधन किया गया है।

- 4.1 5 करोड़ रु. के वार्षिक आबंटन को भारत सरकार द्वारा सीधे ही संबंधित सांसद के जिला प्राधिकारी को 2.5 करोड़ रु. की दो समान किस्तों में जारी किया जाएगा ।
- 4.2 लोक सभा के गठन तथा राज्य सभा के सदस्य के चुनाव के समय 2.5 करोड़ रु. की पहली किस्त को पैरा 4.3 के तह्त अनुबंधित दस्तावेजों के बिना ही जिला प्राधिकारी को जारी कर दिया जाएगा। राज्य सभा तथा लोक सभा के पदासीन सदस्य को उसके बाद की किस्तें पैरा 4.3 में निर्धारित योग्यता मापदंडों के अनुसार जारी की जाएंगी। जिला प्राधिकारी एमपीलैंड योजना के संबंध में प्रत्येक सांसद के लिए एक पृथक बैंक खाता मेनटेन करेंगे। जिला प्राधिकारी प्रत्येक सांसद (वर्तमान तथा पूर्व) की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति अनुलग्नक VI के अनुसार अलग से भेजेंगे।
- 4.3 2.5 करोड़ रु. की प्रथम किस्त वित्तीय वर्ष के आरंभ में जारी की जाएगी।

शेष वर्षों में पहली किश्त वित्त वर्ष के प्रारम्भ में ही जारी की जाएगी बशर्ते पिछले वर्ष की दूसरी किश्त संबंधित सांसद को जारी की जा चुकी हो तथा उसने पिछले वर्ष की प्रथम किश्त में से कम से कम 80 प्रतिशत के व्यय का एक अनंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया हो । एमपीलैंड्स निधियों की दूसरी किस्तें निम्नलिखित योग्यता मापदंडों को पूरा करने पर जारी की जाएंगी:

- (i) स्वीकृत कार्य के समस्त व्यय के लेखे-जोखे को ध्यान में रखते हुए जिला प्राधिकारी के खाते में उपलब्ध अस्वीकृत शेष राशि 1 करोड़ रु. से कम हो;
- (ii) संबंधित सांसद के फंड का अव्ययित बैलेंस 2.5 करोड़ रु. से कम हो; तथा
- (iii) पिछले वित्त वर्ष का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा संबंधित सांसद को जारी पिछले वर्ष से एक वर्ष पहले के वर्ष का लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र जिला प्राधिकारी द्वारा दिशानिर्देशों के अनुलग्नक क्रमशः VIII व IX में दिए गए फॉर्मेट में प्रस्तुत किया गया हो ।

उपर्युक्त अनुबंधों की गणना पृथक रूप से प्रत्येक वर्तमान तथा पूर्व सांसद के कार्यकाल-वार के अनुसार मासिक प्रगति रिपोर्ट से की जाएगी । मासिक प्रगति रिपोर्ट जिला प्राधिकारी द्वारा अनुलग्नक VI में दिए गए फॉर्मेट में भेजी जानी चाहिए ।

2. इसे वित्त मंत्रालय (वित्त विभाग) की सहमति से उनके का.ज्ञा. सं.56(2)पीएफ 11/2006, दिनांक 19.8.2011 से जारी किया गया है।

भवदीय,

देवेन्द्र वर्गी (डॉ. देवेंद्र वर्मा) उप महानिदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

- 1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
- 2. एमपीलैंड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
- 3. एमपीलैंड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
- 4. एमपीलैंड्स प्रभाग के सभी सबंधित कार्मिक ।
- 5. एनआईसी को एमपीलैंड्स वेबसाइट पर डालने हेतु ।

वित्त मंत्रालय (वित्त विभाग) को उनके का.ज्ञा. सं.56(2)पीएफ II/2006, दिनांक 19.8.2011 के संदर्भ में भी सूचनार्थ प्रति अग्रेषित ।